

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 79 / 2023

दायर दिनांक 28.07.2023

रुकमा	उनवान	कमलाबाई
	बनाम	

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 18.12.2024

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई | वकिल वादी हाजिर नहीं | बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं | हाजिर नहीं आने से पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो | आदेश सुनाया गया |



(राजेश सुवालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन